

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

6/1/21

पत्रावली पेश हुई। कादी वकील उपरोक्त तलवी जारत
हुई जो माय भी जारी है। कसरे जयित आदेश एवं
(व्यंगन आदेश आगामी पेश कर फलवी रहेगा)
पत्रावली आदेश दि. 23/2021 से पेश कर
पुनश्च: आदेशिका दि. 20.8.20 में वकील
कादी को रज्जुव आ से तलवी आवाने हेतु
पाबन्द सिपा जमा था। रज्जुव आ से तलवी
नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है।

